



शिकर 2/15

106  
08/08/2022



नकल प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि	नकल तैयार करने की तिथि	नकल जारी होने की तिथि	नकल जारी करने वाले के हस्ताक्षर
06/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	 08/08/2022 उप जिलाधिकारी मिल्लीपुर-अयोध्या

न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्लीपुर  
मनीष सिंह बनाम सरकार

स्मृतगत धारा 143 जठविठ माघिठ  
ग्राम बवां परगना खवडासा तहसील मिल्लीपुर  
जनपद अयोध्या  
बाद संख्या - 103/2015



प्रतिनिधि होश्रा दिनांक 08/08/2022 परित बारा  
उपजिलाधिकारी मिल्लीपुर देजाबाद, फौजियों के  
साथ प्रभावित दाय्याउति संलखन है।

  
08/08/2022  
उप जिलाधिकारी  
मिल्लीपुर-अयोध्या

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी मिल्कीपुर-फैजाबाद ।

मनीष सिंह बनाम सरकार  
घारा 143 ज0वि0अधि0।  
ग्राम बवां परगना खण्डासा।  
तहसील मिल्कीपुर जिला फैजाबाद।  
वाद संख्या 103/2015  
तारीख फैसला. 11.05.2015

परवाना अमलदरामद

चकबन्दी अधिकारी  
मिल्कीपुर

उपरोक्त वाद मे आदेश दिया जाता है कि ग्राम बवां परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर जिला फैजाबाद की भूमि गाटा संख्या 1008मि व 1022 मि0 कमरा रकबा 0.758हे0 व 1.144हे0 जो मनीष सिंह पुत्र राम देव सिंह द्वारा प्रबंधक रामनेवाज सिंह महाविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के नाम अंकित है को ज0वि0अधि0 की घारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। वाद अमलदरामद परवाना की एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जाय।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)  
मिल्कीपुर - फैजाबाद.

सत्य प्रतिलिपि  
प्रमाणित

रीडर  
उप जिलाधिकारी  
मिल्कीपुर-अयोध्या

